EMBRACING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SUSTAINABILITY & LIFE SKILLS

An International Bhutan Conference Proceedings

IJISEM
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

International Journal of Innovations In Science Engineering And Management

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मानवाधिकार की चुनौतियां

प्रबल प्रताप सिंह[1], **डॉ .जीतेंद्र डबराल**[2]

[1]शोध छात्र, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, *ppsingh81@gmail.com*
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर *jitendradabral@gmail.com*

OPEN ACCESS

Volume: 3

Issue: Special issue 2

Month: December

Year: 2024

ISSN: 2583-7117

Citation:

प्रबल प्रताप सिंह,जीतेंद्र डबराल,

"**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मानवाधिकार की चुनौतियां**" International Journal of Innovations In Science Engineering And Management, vol. 3, no. Special Issue 2, 2024, pp. 168-176.

DOI:

10.69968/ijisem.2024v3si2168-176

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

Abstract

तकनीक दिन-प्रतिदिन विकसित हो रही है और इसके उपयोग के साथ ही मानवाधिकारों की चिंता भी बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक ने मानव कार्य को आसान बना दिया है और निकट भविष्य में यह मानव द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। वर्तमान में बिग डेटा का उपयोग बढ़ रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन वैश्विक चिंता का विषय है। दुनिया भर के कई देशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून और नियम अपनाए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका उपयोग प्रचलित मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे। भारत में, जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो बिग डेटा और तकनीक के संबंध में निजता और भेदभाव का अधिकार दो प्रमुख अधिकार हैं। भारत में इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन निजता में बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 (DPDP) जैसे कुछ विधेयक पारित किए गए हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन के लिए पुख्ता भारतीय कानून अभी तक नहीं बना है। इस पर कानून बनाने के लिए भारत सरकार ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इस शोध पत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके विकास और यह किस प्रकार मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, इस पर चर्चा की गई है। नए डेटा संरक्षण विधेयक के विश्लेषण के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान के बारे में बताया गया है।

Keyword: ***कृत्रिम बुद्धिमत्ता/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव अधिकार/मानवाधिकार, गोपनीयता, बिग डेटा, भारतीय कानून***

प्रस्तावना

स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, बीमा, अदालतें आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विभिन्न फायदे हैं। आज की दुनिया में, प्रौद्योगिकियों ने तेजी से विकास दिखाया है और यह हर दिन बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव प्रयास को कम करके हमारे काम को आसान बना दिया है और कई क्षेत्रों में इसका दायरा बढ़ा दिया है। लेकिन इस तकनीक के साथ, एक मुख्य मुद्दा जो उठता है वह है मानवाधिकार का। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बिग डेटा का उपयोग और इसकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। यहां, "बिग डेटा" डेटा की

जटिल और व्यापक मात्रा को इंगित करता है और इसे "मात्रा, वेग, विविधता और सत्यता" द्वारा उपलब्ध अन्य डेटा से अलग करता है। यह एक बहुत बड़ा डेटा सेट हैजिसका उपयोग किया जाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग पहली बार वर्ष 1956 में जॉन मैकार्थीने किया था। उन्होंनेइसे "डिजिटल कंप्यूटर या कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट की वह क्षमता जो आमतौर पर बुद्धिमान प्राणियों से जुड़े कार्यों को करने के लिए होती है" के रूप में वर्णित किया था। यह अमूर्त प्रकृति का है और तर्क, समस्या समाधान आदि का कार्य करता है। एआई का उपयोग न्यायालयों में भी किया जाता है। एआई ने कानूनी अनुसंधान, स्मार्ट अनुबंध और उचित परिश्रम को आसानी से पूरा करने में मदद की है। भारत की शीर्ष कानून फर्मों में से एक, अमरचंद मंगलदास ने किरा सिस्टम्स के साथ एक समझौता किया, जो उनकी मशीन लर्निंग सिस्टम तक पहुंच हासिल करने वाली पहली फर्म बन गई है।जब हम लाभों के बारे में बात करते हैं, तो एआई बहु-कार्य, जटिल मामले को सुलझाने, समय की बचत, कौशल विकास, दस्तावेजों की समीक्षा और प्रबंधन और लागत प्रभावी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस प्रकार, एआई ने नीतियों की भविष्यवाणी करने में भी मदद की है। भारत में पुलिस विभाग और अपराध जांचकर्ता अपराधी को पकड़ने वाले अपराध की भविष्यवाणी करने में एआई की मदद की बात कर रहे हैं।

गूगल, एपल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्लाजैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। मैकिन्से ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें यह भविष्यवाणी की है कि जल्द ही पैंतालीस प्रतिशत काम एआई द्वारा स्वचालित हो जाएगा।

उद्देश्य-

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में अध्ययन करना।
2. भारत व विश्व में मानव अधिकारों के बारे में अध्ययन करना।
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने के बाद मनाव अधिकारों के समक्ष उपजी चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध विधि -प्रस्तुत शोध आलेख में द्वितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है। इसमें समाचार पत्रों ,न्यूज वेबसाइटों , पुस्तकों ,लेखों ,शोध पत्रों ,इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री ,सरकार द्वारा मुद्रित दस्तावेजों आदि से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार

एआई में एल्गोरिदम एक बड़ी भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे दिए गए समयावधि में कार्य को निष्पादित करते हैं। इस क्षेत्र में प्रगति बहुत अधिक हुई है। आईटी ने बड़े डेटा का उपयोग किया जिसे एक विशेष प्रकार के एआई जिसे "मशीन लर्निंग" कहा जाता है, उससे निर्मित है।सवाल उठता है कि क्याऐसी एआई जो इंसान के काम को आसान बनाने में मदद करती है वह "मानवाधिकार" का उल्लंघन करती है या नहीं।यह दुनिया भर में एक बहस का मुद्दा है, खासकर भारत में, क्योंकि इस पर कोई विशेष कानून नहीं है। जिन दो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों के उल्लंघन पर बहस चल रही है, वह है निजता का अधिकारऔर भेदभाव।

मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। इन अधिकारों का उद्भव मानव की अंतर्निहित गरिमा से हुआ है। विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार और उद्घोषित किया। इस उद्घोषणा में अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और अधिकारों की विश्वव्यापी एवं प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बाद मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और पालन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक प्रसंविदा, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1966 और

अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार पर प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रोटोकॉल को अंगीकार किया।

पश्चिम में मनुष्यों के अधिकार का विचार प्राकृतिक विधि की संकल्पना से उद्भूत हुआ। यूनान के लघु नगर राज्यों में राजनीतिक संस्थाओं के अस्थिरता और सरकारों का जल्दी-जल्दी परिवर्तन और विधि में मनमानापन तथा निरंकुशता से दार्शनिकों को कुछ अपरिवर्तनीय और सार्वदेशिक सिद्धांतों के बारे में सोचने और उसकी बात करने को प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक यथास्थिति को व्यवस्थित रूप से चलाने और सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा की आवश्यकता की बात कही और राजनितिक रूप से संगठित एक आदर्श समाज में प्रामाणिक सिद्धांत को निकालने का प्रयत्न किया। वर्तमान रूप में मानव अधिकार की संकल्पना गत शताब्दी में विकसित हुई है और अब समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है। मानव अधिकारों के निरूपण और संरक्षण की वर्तमान चिंता दो विश्वयुद्धों में उनके घोर अतिक्रमण का परिणाम है। विश्व समुदाय द्वारा यह अनुभव किया गया कि मात्र राष्ट्रीय सरकारों से मानव अधिकारों के संरक्षण की आशा करना अयथार्थ है। यह अनुभव किया गया कि मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी कदम उठाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए इसे एक आवश्यक शर्त माना गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसे बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्राथमिक रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए एक तंत्र की कल्पना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रयोजन और सिद्धांत के पैरा 3 में कहा गया है- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए और मूल, वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना है। अतः विश्व निकाय ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किया और उद्घोषित किया

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियां मानव इतिहास में परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली एजेंट बनने की राह पर हैं। यह न केवल वैश्विक आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को नया आकार देगा। सभी के लिए जिम्मेदार एआई भारत सरकार ने एआई को जिम्मेदारी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और एआई के लिए हमारी राष्ट्रीय रणनीति के मूल में 'सबके लिए एआई' के विचार को रखते हुए इस तकनीक का उपयोग करने में सार्वजनिक भरोसा अर्जित किया है। भारत सरकार ने 2020 में सामाजिक सशक्तीकरण के लिए दायित्वपूर्ण एआई (Responsible AI for Social Empowerment RAISE-2020) विषय पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन था। जिसका लक्ष्य दायित्वपूर्ण एआई के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, समावेशन और सशक्तीकरण के लिए भारत का दृष्टिकोण और रोडमैप तैयार करना था। इसमें 21 देशों के 320 विशिष्ट वक्ताओं ने विचार रखे। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी ग्लोबल पार्टनरशिप (जीपीएआई) के संस्थापक सदस्य के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में शामिल हो गया है। जीपीएआई एआई के दायित्वपूर्ण विकास और उपयोग को निर्देशित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है, जो मानव अधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर आधारित है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी ग्लोबल पार्टनरशिप-2023 (जीपीएआई) की अध्यक्षता संभाली है। जीपीएआई अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का समूह है। जीपीएआई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एआई समुदाय के भीतर संवाद और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना, दुनिया भर में प्रमुख एआई पहलों को संरेखित करना और समावेशिता, पारदर्शिता और जवाबदेही सिद्धांतों के

आधार पर भरोसेमंद एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और नीतियों को अपनाने पर चर्चा करना है।

गोपनीयता की अवधारणा महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी गईं। जस्टिस लुईस ब्रैंडिस ने इसे "अकेले छोड़ दिया जाना" बताया है और अवांछित निजी जानकारी का कोई खुलासा नहीं किया। अमेरिकी न्यायविद् रिचर्ड पॉस्नर के अनुसार, “इसका अर्थ है व्यक्तिगत जानकारी को छिपाना और छिपाना।” रूथ गेविसन के मतानुसार-“गोपनीयता के तीन तत्व हैं जिन्हें "गोपनीयता, गुमनामी और एकांत" के नाम से जाना जाता है।”भारत में, पुट्टास्वामी बनाम भारत केस में जहां मामला आधार कार्ड के इर्द-गिर्द घूमता था, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। इस पर नौ न्यायाधीशों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग-3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है"। गोपनीयता के तीन पहलू हैं, जो हैं "सूचना गोपनीयता, शारीरिक गोपनीयता और व्यक्तिगत निर्णय स्वायत्तता"। सूचना गोपनीयता का तात्पर्य व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से है, जिसमें किसी के स्वास्थ्य आदि की जानकारी शामिल है। शारीरिक गोपनीयता में किसी व्यक्ति को दवाओं के आक्रामक परीक्षण जैसी प्रक्रियाओं से बचाना शामिल है। व्यक्तिगत निर्णय की स्वायत्तता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को गोमांस या सुअर का सेवन जैसे चयन करने का अधिकार है।

इससे पहले भारतीय कानूनी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा को लेकर शून्यता थी। "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000" की धारा 43ए, जिसमें सुरक्षा को अनिवार्य किया गया है, जिन्हें "संवेदनशील जानकारी" के संपर्क में आने पर कॉर्पोरेट निकाय द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जब सार्वजनिक क्षेत्र की बात आती है तो डेटा सुरक्षा पर चिंता का अभाव होता है। यह एक तथ्य है कि डेटा प्रकृति में गतिशील है और यह विशेष डेटा की विकसित प्रकृति को अपने दायरे में लाने में विफल रहता है।इसके अलावा, "आईटी के नियम 3 (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी)" में "पासवर्ड, वित्तीय जानकारी जैसे-बैंक खाता, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या अन्य भुगतान साधन विवरण, शारीरिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य", स्थिति, यौन अभिविन्यास, मेडिकल रिकॉर्ड और बायोमीट्रिक जानकारी" शामिल हैं। हालांकि, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल नहीं है, जिनकी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। ये प्रावधान कुछ हद तक सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन के समान हैं, जिसे यूरोपीय संघ द्वारा 2018 में डेटा संरक्षण निर्देश, 1995 की जगह लागू किया गया था। भारत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 के रूप में जाना जाने वाला एक कानून बनाया, जिसे दिसंबर, 2019 में मंजूरी दी गई थी। हालांकि इसे 2023 में भारत सरकार ने वापस ले लिया। इसकी जगह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 लाया गया। इस विधेयक में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का प्रावधान इस प्रकार किया गया है कि इसमें व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार तथा वैध प्रयोजनों और उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक,2023 (Digital Personal Data Protection Bill, 2023) (DPDP) कानून के तहत भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डिजिटल डेटा का दुरपयोग या उसकी रक्षा नहीं कर पाने पर जिम्मेदार इकाई पर 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उपयोगकर्ताओं के डेटा का इस्तेमाल कर रहीं कंपनियों को उसके व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करनी होगी और व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन के मामले की सूचना डेटा संरक्षण बोर्ड (DPB) और उपयोगकर्ता को देनी होगी।DPDP कानून के अनुसार, बच्चों के डेटा का उपयोग उसके संरक्षक की मंजूरी के बाद ही किया जा सकेगा।

इसके बाद भेदभाव की अवधारणा आती है। यह पहली बार DH&Ors बनाम चेक गणराज्य के मामले में सामने आया था, जहां यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने वैधानिक प्रावधानों को रद्द कर दिया।कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, अमेरिकी अदालतें एक

दोषी को जमानत देती हैं जो "जोखिम मूल्यांकन" से प्रभावित होती है और यह एल्गोरिदम द्वारा प्रदान की जाती है जो अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक प्रभाव दिखाती है। इसके परिणामस्वरूप इन अल्पसंख्यकों को श्वेत लोगों की तुलना में अधिक जोखिम का आकलन करना पड़ता है। इसके अलावा, गूगल द्वारा डिज़ाइन किए गए एक फोटो ऐप ने गलती से लोगों की तस्वीरों को "गोरिल्ला" के रूप में टैग कर दिया।

भारत में, दिल्ली पुलिस और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-उन्नत डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (ISRO-ADRIN) ने 2015 में एक "क्राइम मैपिंग, एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव सिस्टम" (CMAPS) विकसित करने के लिए साझेदारी की, जो अपराध के लिए प्रश्न उत्पन्न करने के लिए वेब-एप्लिकेशन है जो आपराधिक प्रोफाइल भी खोजती है और संकलित करती है और अपराधियों के व्यवहार का विश्लेषण करती है। इससे पुलिस को केवल यह पता लगाने में मदद मिलती है कि अपराध कहां हुआ है और यह पुलिस पर है कि वह मामले को सुलझाने के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करे और पता लगाए कि अपराध वास्तव में हुआ था या नहीं।यदि केवल जानकारी के आधार पर किसी आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो यह न्याय का गर्भपात होगा। भारत अपराधों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई को लागू कर रहा है, लेकिन उसे इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये प्रौद्योगिकियां किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित न करें, भले ही वह आरोपी ही क्यों न हो।

चुनौतियां

भले ही एआई के नियमन और इसके उचित प्रबंधन के लिए उपाय किए गए हैं, लेकिन भारत में एआई के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। इस वजह से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।हाल के वर्षों में, भारत ने स्वास्थ्य सेवा और वित्त से लेकर शासन और कानून प्रवर्तन तक विभिन्न क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकियों का तेजी से प्रसार देखा है। फिर भी, नवाचार की इस लहर के बीच, एक मार्मिक अहसास उभरता है। मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने या बाधित करने के लिए एआई की क्षमता भारत के सामाजिक ताने-बाने के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के विविधतापूर्ण समाज की जीवंतता में एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता छिपी हुई है। मानवाधिकारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बीच के अंतरसंबंध का सामना करने की तत्काल आवश्यकता है।कुछ प्रमुख चुनौतियों इस प्रकार हैं...

1. **गोपनीयता जोखिम** - नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पारित हो गया है लेकिन एआई को विनियमित करने के लिए इसमें कोई विशेष प्रावधान नहीं है। एआई सिस्टम बहुत सारे डेटा का उपयोग करता है और इस वजह से यह प्रौद्योगिकी को व्यक्ति की जानकारी या सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा रिकॉर्ड करने की अनुमति दे सकता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं, जिसमें डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर प्रसिद्ध अभिनेत्रियों की गोपनीयता को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है।

2. **पारदर्शिता और जवाबदेही जोखिम** - एआई ढांचे की योजना और कामकाज को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और बाहरी जांच और समीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यवस्था निष्पक्ष, वास्तविक, निष्पक्ष है और जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। एआई ढांचे की योजना, उन्नति और संगठन से जुड़े सभी साझेदारों को अपनी गतिविधियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। साझेदारों को अंतिम ग्राहक पर एआई ढांचे के तत्काल और असामान्य अपेक्षित प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए।हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संचालन करने वालों के पास इसे पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का

कोई मजबूत तंत्र नहीं है। जिसकी वजह से मानव के अधिकारों पर संकट बढ़ता जा रहा है।

3.लोगों की निगरानी- इसका उपयोग विभिन्न देशों में लोगों को ट्रैक करने और निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। यदि व्यक्ति का डेटा गुमनाम हो जाता है, तो यह बड़े डेटा का हिस्सा बन जाता है और एआई अन्य उपकरणों से अनुमान के आधार पर इस डेटा को अज्ञात कर सकता है। यहां, व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डेटा का अंतर धुंधला हो जाता है।

4. स्वचालित प्रक्रिया से खतरा - एआई, उन्नत इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things-IoT) और इंटरनेट ऑफ लिविंग थिंग्स (Internet of Living Things-IoLT) उपकरणों के प्रसार से कई राज्य संचालित प्रशासनों को लाभ हुआ है। ऐसा ही एक मॉडल वर्सटाइल जीनोम सीक्वेंसर मिनियन और मेट्रिकोर का उपयोग है जो रोग संचरण के अध्ययन में एआई का उपयोग करता है जो संक्रमण के जोखिम को निर्धारित करने में मदद करता है। सेक्वेनोम इंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का एक और उदाहरण है जो वंशानुगत कोड की वंशानुगत किस्मों में लागू अनुभवों की व्याख्या करता है। तैयार की गई जानकारी के आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण और अन्य प्रशासनिक निकायों को बीमारियों के प्रसार को प्रबंधित करने और जांच करने और संकटों को रोकने के लिए सूचित विकल्प चुनने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार की स्वचालित प्रक्रिया से जहां लाभ नजर आता है, वहीं इसके दुरुपयोग से मानव जाति पर नए संकट भी खड़े होने की आशंका है।

5. एआई एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और भेदभाव की संभावना-एआई गवर्नेंस और मानवाधिकारों के बीच के अंतरसंबंध में एक प्रमुख चुनौती एआई एल्गोरिदम में अंतर्निहित पूर्वाग्रह और भेदभाव की संभावना है। एआई मॉडल अक्सर विशाल डेटासेट पर निर्भर करते हैं, जिसमें ऐतिहासिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं। जब इन पूर्वाग्रहों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तो एआई अनुप्रयोग मौजूदा असमानताओं को कायम रख सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। पूर्वानुमानित पुलिसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एआई एल्गोरिदम मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत करने के लिए पाए गए हैं, जिससे कुछ समुदायों की अति-पुलिसिंग हुई है (अमेरिका में, एआई ने अश्वेत और लैटिन लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाया है)। यह महत्वपूर्ण है कि हम एआई सिस्टम में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डेवलपर्स और संगठनों की जिम्मेदारी पर विचार करें क्योंकि अशुद्धियों के परिणाम नागरिक अधिकारों पर बहुत परेशान करने वाले प्रभाव डाल सकते हैं।

6. निजताउल्लंघन संबंधी चिंताएं-एआई में अक्सर बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल होता है, जिससे निजता उल्लंघन के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। इसका एक उदाहरण चेहरे की पहचान तकनीक में एआई का उपयोग है। सरकारों और निजी संस्थाओं ने निगरानी, पहचान और सुरक्षा सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए चेहरे की पहचान को तेजी से नियोजित किया है।उदाहरण के लिए, चीन में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर अपने नागरिकों की निगरानी के लिए व्यापक रूप से चेहरे की पहचान करने वाली प्रणाली लागू की है। इससे निजता से जुड़ी महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा हुई हैं क्योंकि यह व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति के बिना उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है। चेहरे की पहचान के डेटा के दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक है और यह व्यक्तियों की निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (और असहमति की स्वतंत्रता) के साथ-साथ अन्य

व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक पहुँच के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

7. पक्षपातपूर्ण परिणामों को जन्म देना-एआई निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी मानवाधिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब एआई सिस्टम ऐसे निर्णय लेते हैं जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं, तो इन निर्णयों को समझाने के लिए तंत्र होना महत्वपूर्ण है। कई अमेरिकी राज्यों ने स्वचालित निर्णय लेने के बारे में बिल पेश किए हैं जो प्रभावित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण के अधिकार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन व्यक्तियों के पास एआई एल्गोरिदम द्वारा किए गए निर्णयों को समझने और चुनौती देने की क्षमता है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। ऋण स्वीकृति या नौकरी भर्ती के संदर्भ में, पक्षपाती एल्गोरिदम भेदभावपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि AI-संचालित सामग्री अनुशंसा एल्गोरिदम अनजाने में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

8. डीपफेक और चुनाव-डीपफेक चुनावों की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं, जो गलत सूचना और हेरफेर के एक नए आयाम को पेश करते हैं। डीपफेक झूठे आख्यानों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, जिससे मतदाताओं में भ्रम पैदा होता है और चुनावों की लोकतांत्रिक नींव को खतरा होता है। हाल में भारत में हुए लोकसभा चुनाव में गलत सूचना के साथ डीपफेक तकनीक से बनाए गए वीडियो खूब प्रसारित किए गए। जिसे बड़ी संख्या में मतदाताओं ने देखा। इस तरह एआई का दुरुपयोग भवष्यि के लिए खतरे की घंटी है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी तंत्र के साथ कानून नहीं बने तो यह मानवाधिकार के लिए भस्मासुर साबित होगा।

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने बैंगलोर में संघीय गणराज्य जर्मनी के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से "कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार" परियोजना के तहत सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान व्याख्यान, कार्यशालाओं और पाठ्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित की। जिसमें विशेषज्ञ वक्ताओं ने विकासशील देशों में एआई के बढ़तेदुष्प्रभाव पर चिंता जताई। वक्ताओं का कहना था कि दुनिया भर के विशेषज्ञों और संस्थानों ने देखा है कि एआई प्रौद्योगिकियां मानवाधिकारों के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाती हैं। इस परियोजना में शामिल विशेषज्ञ वक्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तत्काल उचित विनियमन और सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग की है।

समाधान

नीति आयोग ने 2018 में "एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति" पर एक शोध प्रकाशित किया, जिसमें विकास को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। चिकित्सा, कृषि, स्मार्ट सिटी और इसकी गतिशीलता जैसे प्रमुख क्षेत्रों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। एनएसएआई द्वारा की गई चर्चाओं और सिफारिशों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि एक स्पष्ट और संक्षिप्त तंत्र विकसित किया जाए। इसका उपयोग कुशल और जिम्मेदार तरीके से किया जाए। शोध पत्र में सात सिद्धांतों को इंगित करते हुए टिप्पणी की गई है कि धान के पालन में एक उचित तंत्र की आवश्यकता है।

जैसे...

1. सुरक्षा और विश्वसनीयता का सिद्धांत।

2. समानता का सिद्धांत।
3. समावेशिता और गैर-भेदभाव का सिद्धांत।
4. गोपनीयता एवं सुरक्षा का सिद्धांत।
5. पारदर्शिता का सिद्धांत।
6. जवाबदेही का सिद्धांत।
7. सकारात्मक मानवीय मूल्यों की सुरक्षा एवं सुदृढीकरण का सिद्धांत।

इसके अलावा क़ाउंसिल ऑफ यूरोप ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए "अनबॉक्सिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-10 स्टेप्स टु प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स" शीर्षक के तहत दस उपाय सुझाए। जिनसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव के अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव रोकने या कम करने में मदद मिल सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं

1. मानवाधिकार प्रभाव आकलन।
2. सार्वजनिक परामर्श।
3. निजी क्षेत्र में मानवाधिकार मानक।
4. सूचना और पारदर्शिता।
5. स्वतंत्र निरीक्षण।
6. गैर-भेदभाव और समानता।
7. डेटा संरक्षण और गोपनीयता।
8. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तथा काम करने का अधिकार।
9. उपचारों तक पहुंच।
10. कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता को बढ़ावा देना।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित तकनीक हर व्यक्ति के जीवन के ज़्यादातर पहलुओं में प्रवेश कर रही है या कर चुकी है। स्मार्ट होम अप्लायंस से लेकर सोशल मीडिया एप्लीकेशन तक, इसका उपयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा लोगों के व्यक्तित्व या कौशल का मूल्यांकन करने, संसाधनों का आवंटन करने और अन्यथा ऐसे निर्णय लेने के लिए किया जा रहा है, जिनका व्यक्तियों के मानवाधिकारों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए तकनीकी विकास और मानवाधिकार संरक्षण के बीच सही संतुलन स्थापित करना ज़रूरी है।

निष्कर्ष

हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं। एआई द्वारा डेटा के उपयोग और विश्लेषण से सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है लेकिन गोपनीयता और डेटा के दुरुपयोग का जोखिम अभी भी एक मुद्दा बना हुआ है। दुनिया भर में मानवाधिकार उल्लंघन पर बहस चल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर जैसे कुछ देशों ने क्रमशः एआई अनुप्रयोगों और मॉडल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के प्रबंधन के सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए इसे बरकरार रखना सुनिश्चित किया है। भारत के पास वर्तमान में एआई के विनियमन के लिए विशिष्ट और पुख्ता कानून नहीं है। अमेरिका ने 2019 में एक एल्गोरिदम जवाबदेही विधेयक भी पारित किया है जो स्वचालित निर्णय या व्यक्तिगत डेटा को शामिल करते हुए एआई जैसे उच्च जोखिम प्रणालियों को संसाधित और संचालित करेगा। किसी भी प्रकार के पक्षपात को रोकने के लिए भारत में भी ऐसे विधेयक की आवश्यकता है। हालांकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक-2023 एआई के दुरुपयोग पर लगाम लगाने का भरसक प्रयास है। फिर भी पारित कानून और प्रचलित कानून इस पर उचित नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे कानून की आवश्यकता है जो एआई के उपयोग और उसके प्रबंधन पर पुख्ता नियंत्रण रखे।

संदर्भ सूची

[1] Sheshadri Chatterjee & Sreenivasulu N.S., Artificial intelligence and human rights: a comprehensive study from Indian legal and policy perspective, International Journal of Law and Management, 2022, P-184–205

[2] Sheshadri Chatterjee & Sreenivasulu N.S., Artificial intelligence and human rights: a comprehensive study from Indian legal and policy perspective, International Journal of Law and Management, 2022, P-184–205

[3] मानवअधिकारसंकल्पना, उद्भव, विकासऔरप्रकारhttps://hi.vikaspedia.in/social-welfare/93893e92e93e91c93f915-93894193091594d93793e/92e93e92893593e92793f91593e930-92892f940-92693f93693e90f901/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B5-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A4%AD%E0%A4%B5-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0

[4] रोजगारसमाचार, अंक-09, 27 मई- 02 जून 2023https://www.rojgarsamachar.gov.in/NewRS/MoreContentNew.aspx?n=Editorial&k=80326

[5] Sejal Chandak, Artificial Intelligence and Policing: A Human Rights Perspective, 7(1) NLUJ Law Review 43, 2020

[6] Mathias Risse, Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda 41 HUM. Rts. Q. 1 (2019)

[7] DPDP: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक बना अधिनियम, राष्ट्रपति से मिली मंजूरी,https://hindi.business-standard.com/legal-news/dpdp-digital-personal-data-protection-bill-became-an-act-approved-by-the-president1 The Persistent Problem of Cultural Discrimination In AI Datasets, https://analyticsindiamag.com/the-persistentproblem-of-cultural-discrimination-in-ai-datasets/ Apr 22, 2022

[8] Sejal Chandak, Artificial Intelligence and Policing: A Human Rights Perspective, 7(1) NLUJ Law Review 43, 2020

[9] Rajmohan, Smita, Navigating the Intersection of Human Rights and AI in India, Feb 19, 2024https://indiaai.gov.in/article/navigating-the-intersection-of-human-rights-and-ai-in-india

[10] Corinne Cath, Governing artificial intelligence, 376 PHILOS. TRANS. MATH. PHYS. ENG. SCI. P-1–8, 2018

[11] Rajmohan, Smita, Navigating the Intersection of Human Rights and AI in India, Feb 19, 2024https://indiaai.gov.in/article/navigating-the-intersection-of-human-rights-and-ai-in-india

[12] Sunitha Abhay Jain & Simran A. Jain, Artificial Intelligence: A Threat to Privacy, 8 NIRMA U. L.J. 21 2019

[13] Unboxing artificial intelligence: 10 steps to protect human rights, 14-05-2019, https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights